

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर
राजस्व प्रकरण संख्या 26/19... अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये बनाम श्री सुमेर सिंह पुत्र नरेश सिंह
पटवारी हल्का 11216 जाति राजपूत निवासी कुड़िया
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 11216 ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम कुड़िया के खसरा नम्बर 105 ... रकबा 103.05 बीघा में से 20 बीघा किस्म 6/11 राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर 5000 रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख 11216 को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 15.10.19 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50/- फसल नि.
कुल योग 50/- रजि. के पृष्ठ सं. 33
दिनांक 15.10.19 में इन्द्राज किया गया।


तहसील राजस्व लेखका